GST Hindi update on SEIS Scheme

गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्टर्स को कई तरह की सुविधाएं और लाभ दिए हैं। इस अपडेट में हम सर्विस एक्सपोर्टर्स को मिलने वाले बेनिफिट पर चर्चा करेंगे। सर्विस के एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट द्वारा सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (SEIS) का बेनिफिट मिलता है।

SEIS स्कीम में गवर्नमेंट उन सभी service एक्सपोर्टर्स को 3% से 5% तक incentives देती है जो भारत से भारत के बाहर की organisations को सेवा प्रदान करते हैं। यह स्कीम 2015 में शुरू हुई थी जो की 5 साल के लिए है। इस स्कीम मैं मिलने वाले रिवॉर्ड की गणना कुल प्राप्त हुए foreign Exchange पर की जाती हैं।

यह रिवॉर्ड या लाभ कैश में नहीं बल्कि duty free credit scrip के रूप में मिलती है। इस duty free credit scrip से हम विभिन्न प्रकार के टैक्स जो की गुड्स और सर्विस पर लगते हैं उनका भुगतान कर सकते हैं। और इन scrips को हम किसी और व्यापारी को बेच भी सकते हैं।

अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने foreign trade policy में कई परिवर्तन किये है इसमें SEIS से सम्भंधित भी कुछ बदलाव है जो निम्न प्रकार है:-

ए) Financial year 2018 -19 के SEIS फाइल करने की अंतिम तिथि 31।12।2020 कर दी गई है;

बी) SEIS स्कीम 2019-20 के लिए भी चालू रहेगी। पर इसमें किन किन सेवाओं को शामिल किया जायेगा, इस बारे में गवर्नमेंट जल्द ही नोटिफिकेशन द्वारा बताएगी; तथा

सी) SEIS स्कीम 2020-21 के लिए भी चालू रहेगी या नहीं, यह निर्णय भी सरकार बाद में लेगी।

कोरोनावायरस से लड़ने के लिए निर्यातकों को सरकार दे काफी सारे राहतों की उम्मीद है यह उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। उद्यमी व व्यापारी संघ इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.